

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-1/बजट-यो0-701/2026- 13 ~~बजट~~ /पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026
प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

सहायक निदेशक, ईख विकास,
गोपालगंज/बेतिया/ मोतीहारी/सीतामढ़ी/
सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णिया/ गयाजी/ दरभंगा/ भोजपुर/
मुजफ्फरपुर/जमुई/सहरसा/पटना एवं बगहा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत " गन्ना यंत्रिकरण योजना " के लिए स्वीकृत कुल 3459.71 लाख रु० (चौतीस करोड़ उनसठ लाख इकहत्तर हजार रु०) मात्र के विरुद्ध निर्गत परमिट के आलोक में तत्काल कुल 1641.40 लाख रु० (सोलह करोड़ इकतालीस लाख चालीस हजार रु०) मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-240 स्वी०/सी.सी. दिनांक-08.07.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना अंतर्गत " गन्ना यंत्रिकरण योजना " के लिए कुल 3459.71 लाख रु० (चौतीस करोड़ उनसठ लाख इकहत्तर हजार रु०) मात्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में प्रथम चरण में निर्गत परमिट के आधार पर योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि कुल 3459.71 लाख रु० मात्र के विरुद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-314/वि. दिनांक-01.04.2026 के आलोक में सी.एफ.एम.एस. में अद्यतन उपलब्ध राशि के अधीन तत्काल कुल 1641.40 लाख रु० (सोलह करोड़ इकतालीस लाख चालीस हजार रु०) मात्र का आवंटन किया जा रहा है।

2 इस योजनांतर्गत निर्गत परमिट के आलोक में राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार आवंटित वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1' के रूप में संलग्न है, के अनुसार श्रेणीवार आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से किया जा सकेगा।

3. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में तत्काल 1641.40 लाख रु० आवंटित राशि की निकासी हेतु बजट शीर्षवार विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	संशोधित उपबंधित राशि (लाख रु०)	स्वीकृत राशि (लाख रु०)	तत्काल आवंटित राशि (लाख रु०)
1	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-101-लघु शीर्ष-108 वाणिज्यिक फसल मांग संख्या-45 उप शीर्ष- 0120 गन्ना यंत्रिकरण, विपत्र कोड-45-2401001080120	विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी	3500.00	3459.71	1641.40
	योग-		3500.00	3459.71	1641.40

4 यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक- 314/वि. दिनांक-01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

5 आवंटित राशि जिस श्रेणी हेतु आवंटित की गई है, उसी श्रेणी से संबंधित बजट शीर्ष से निकासी की जाएगी।

6 व्यय के उपरांत व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

क्रमशः.....2

7. इस योजना हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-240 स्वी0/सी.सी. दिनांक-08.07.2026 में निहित दिशा-निर्देश/शर्त के आलोक में योजना का कार्यान्वयन तथा राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

8. प्रस्ताव में सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोक्त:

विश्वासभाजन
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-1/बजट-यो0-701/2026- 13 बजट /पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज/बेतिया/मोतीहारी/सीतामढ़ी/सिवान/समस्तीपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ/गया/दरभंगा/ भोजपुर/मुजफ्फरपुर/ जमुई/ सहरसा/ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-1/बजट-यो0-701/2026- 13 बजट /पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संबंधित उप निदेशक, ईख विकास/महाप्रबंधक, बगहा, हरिनगर, लौरिया, नरकटियागंज, मंझौलिया, सुगौली, सिधवलिया, विष्णु, हसनपुर, रीगा एवं प्रतापपुर चीनी मिल/सचिव, बिस्मा/संबंधित के.भी.के./राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी/SIO, NIC, Patna/वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-1/बजट-यो0-701/2026- 13 बजट /पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि- संबंधित सभी जिलाधिकारी/निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं प्रभारी पदाधिकारी, IISR, लखनऊ-क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर/निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा/संबंधित सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-1/बजट-यो0-701/2026- 13 बजट /पटना, दिनांक- 11 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट- '1'

राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु गन्ना यंत्रिकरण योजना के तहत निर्गत परमिट के उपरांत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार आवंटित राशि तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ कार्यालय का नाम	आवंटित राशि (लाख रु० में)	कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य	
1	2	3	4
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	313.40400	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	235.95700	कोषागार, बेतिया, प० चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	181.34500	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	209.72500	कोषागार, गोपालगंज
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी	232.87500	कोषागार, सीतामढ़ी
6	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	176.58700	कोषागार, समस्तीपुर
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	29.54400	कोषागार, मुजफ्फरपुर
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	48.90900	कोषागार, सिवान
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	21.20400	कोषागार, भागलपुर
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	4.75800	कोषागार, दरभंगा
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	27.22300	कोषागार, सहरसा
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णिया	20.21000	कोषागार, पूर्णिया
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	17.25100	कोषागार, जमुई
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, भोजपुर (आरा)	49.30800	कोषागार, आरा (भोजपुर)
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	61.56400	कोषागार, गयाजी
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	11.53600	कोषागार, पटना
	योग-	1641.40000	

ईखायुक्त, बिहार।